

Form-1 (For Linear Projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 25/01/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-FG(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.472 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kodiya-Siyasain motor raod to Village Jaisal motor road Under Chief Minister Gram Sadak Sanyojan Yojana. (State Sector), Length 2.50 Km. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.472 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s), Gram sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As Above.

Signature

(Swati & Bhadoriya)

(District Magistrate Chamoli)

वमोनी

DM FRA Letter

प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।



OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 25.01/2020

Signature

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)

विना अधिकारी नमोनी

जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग मोपेश्वर।

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः— मा॰मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया—सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़िया—सियासेंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.472 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 17 11 2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननाुसार है:—

| 1-पुश्री बुशरा अंसारी | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
|------------------------------|--|------------------|
| 3- श्री ज्यानित नेग | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 4- श्री श्री यती विनीता द्वी | सहायक समाज कत्याण अहि बी.डी.सी. क्षेत्र | कारी, सदस्य/सचिव |

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किम्मिः मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया—सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.472 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तल् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य पहायक स्मिन कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड दहाली

वी.डी.सी.क्षेत्र सदस्य

देवेन्त्र मिंह नेगी जिल पंचायत बादुला जिला-चमोली

DM FRA Letter



परियोजना का नाम:- मान मुख्यमंत्री स्डब संघोजन घोजनात्र्यित कीदिया-सिधारींग मोनमार्थित से ग्राम जैस्त्र रह मोन मर्ग वा विस्तर।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत मार्मुख्यम्की स्टब्र स्योजन योजनान्स्वीत की दिया-स्थिमार्सेंग मोद्रमार्की से ग्राम - जैसाल रु मोर्च मर्घ

निर्माण हेतु 4:५२२ है० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4:५२२ है० सिविल / आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित स्त्री ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वस भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि ५:५७, २हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

विनाक 24/6/2019 को ग्रामसभा जेड़ाल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

| - | TIGHT TIPLE OF THE STATE OF THE | |
|--------------|--|------------------|
| कम सं. | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
| 1 | DINEST CHANDRA | fam. |
| (3) | ste and | सी मिळाग्रह) |
| (3) | कमुला हेरी | 1 |
| 4) | विटापी प्राधानी | an Hortiage |
| 3 | (B)201-301- | Corelt Control |
| 6 | 3/3437/4415 | अन्यस्याप् |
| 7 | यम्बला है की | 10 5.46 Jas |
| (8) | 9,0011 SSRUM | (D. S. |
| 9 | gool ssitua | Apris 29 |
| 70 | (नेगदम्बा प्रसाह | Taber - |
| (1) | 81/201 3/4/2 | gen |
| (P) | भ मोर्ग पंत | J. R. |
| (13) | 5/45 | |
| 19) | 2101901 | Chepely Totaling |
| (15) | [NOT) - 101 | Addi-11 48 |
| (16) | - GOGNOT GOVERT | -1-671011 |
| DM FRA Lette | द्वेच्ट प्रसाद | Did |
| (18) | कियान- हिरिसी हेवी | ald sub |
| 19 | स्थित कर | |
| 200 | 742/-459- | (yours |

3797294 4475 1471 3719 211001 4415 4 - cidy omnited 304/ Gd अग्राम देखी 23 नेमलला -दुर्गीमुनाड रोतिबन्ड मुलाड 3 25) 26) २० उत्पाई नी कामला हैकी मीलाम्बरदेख

THE SHIP STATE STA रामी देवी